न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, एवम् न्याय निर्णयन अधिकारी, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी –श्री महेन्द्र लोढ़ा

सिविल प्रकरण संख्या 11/16 तारीख रजू. 08/03/16

राजस्थान सरकार जरिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी,सवाईमाधोपुर। —आवेदक

बनाम

1. रमाकांत पुत्र रामनारायण तेली निवासी रमाकान्त रेस्टोरेन्ट मुख्य बाजार टोडरा फलोदी क्वारी तहसील सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर । – अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11)

::निर्णय:: दिनांकः 13-4-18

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवम् मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री उपेन्द मिश्रा खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 21/05/2015 को समय 02:30 पी.एम. पर दौराने गश्त मैसर्स रमाकान्त रेस्टोरेन्ट मुख्य बाजार टोरडा फलोदी क्वारी जिला सवाई माधोपुर पर पहुँचा वहां पर रमाकान्त पुत्र रामनारायण तेली विकेता व मालिक की हैसियत से उपस्थित था। उक्त अभियुक्त को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विकेता से परिचय लिया तथा उक्त मैसर्स पर आम जनता को विकय हेतु खाघ पदार्थ पाईनेपल का ज्यूस एक डी फिजर में स्टील के बर्तन में लगभग 7 लीटर दुकान में रखा हुआ था के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर विकेता से खाघ रजिस्ट्रेशन पत्र/खाघ अनुज्ञा पत्र मांगा। उक्त खाघ रजिस्ट्रेशन पत्र/खाघ अनुज्ञा पत्र विक्रेता द्वारा मौके पर नहीं होना बताया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिती में तैयार कर विकेता को देकर प्राप्ति रसीद ली एवं नमूने की सभी औपचारिकता पूर्ण कर उक्त नमूना सील्ड मोहर कर सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक ओम प्रकाश पूर्विया वार्ड बॉय द्वारा खाघ विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की तथा आवेदक खाघ सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2015/2506 दिनांक 11/08/2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाघ विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट सं0 एलएस/1209/एक्ट/694 दिनांक 03/08/15 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाघ पदार्थ पाईनऐपल का ज्यूस सबस्टेण्डर्ड (**Total soluble solids 2.12% added suger-neg-Acidity expressed as citric acid 0-12%) as per fss act 2006** होना पाया गया।

उक्त प्रकरण में विकेता द्वारा सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के खाघ पदार्थ पाईनऐपल का ज्यूस का विकय व निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन किया है । जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है ।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित हुआ। अभियुक्त द्वारा जबाब प्रस्तुत करने पर अभियोजन अधिकारी व अभियुक्त की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कहा कि अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ पाईनऐपल का ज्यूस का विक्रय करने का दोष साबित है,अतः अधिकतम शास्ति से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त ने जवाब में अंकित तथ्यों क हवाला देते हुए बहस में निवेदन किया है कि आवेदक ने जो मेमोरेन्डम पत्र दिनांक 21/05/2015 को डिपार्टमेन्ट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विस राजस्थान को भेजा था उसमें जांच ऐजेन्सी से पाईनेपल ज्यूस के नमूने में सेकरीन एण्ड कलर की जांच हेतु भेजा था तथा जयपुर प्रयोगशाला की रिपोर्ट में सेकरीन जांच परिणाम में नैगेटिव और कलर की जांच में ऐवसेन्ट आया है। इस प्रकार जांच परिणाम से स्पष्ट है कि पाईनेपल ज्यूस में सेकरीन व कलर नहीं था,साथ ही वकील अभियुक्त ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत धारा 68खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के अर्न्तगत आवेदन पत्र की कार्यवाही ड्राप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि खाद्य विश्लेष जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट सं0 एलएस/1209/एक्ट/694 दिनांक 03/08/15 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पाईनऐपल का ज्यूस सबस्टेण्डर्ड **(Total soluble solids 2.12% added suger- neg-Acidity expressed as citric acid 0-12%) as per fss act 2006** होना पाया गया तथा वकील अभियुक्त का यह कथन की आवेदक ने जो मेमोरेन्डम पत्र दिनांक 21/05/2015 को डिपार्टमेन्ट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विस राजस्थान को भेजा था उसमें जांच ऐजेन्सी से पाईनेपल ज्यूस के नमूने में सेकरीन एण्ड कलर की जांच हेतु भेजा था तथा जयपुर प्रयोगशाला की रिपोर्ट में सेकरीन जांच परिणाम में नैगेटिव और कलर की जांच में ऐवसेन्ट आया है। इस प्रकार जांच परिणाम से स्पष्ट है कि पाईनेपल ज्यूस में सेकरीन व कलर नहीं था। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ पाईनऐपल ज्यूस में खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार सेकरीन व कलर नहीं था। लेकिन खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सबस्टेण्डर्ड **(Total soluble solids 2.12% added suger- neg-Acidity expressed as citric acid 0-12%) as per fss act 2006** होना पाया गया तथा यदि अभियुक्त उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ पाईनऐपल ज्यूज का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक नियम,2011 के नियम 51 के अन्तर्गत 35,000 रूपये (पैतीस हजार रूपये)की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि तीस दिवस की अवधि के भीतर –भीतर न्याय निर्णय अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाईमाधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करवावे। अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी।आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिए पंजीकृत डाक प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.4.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवम
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर